



**न्यायालय**  
**उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)**  
(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

**प्रकरण संख्या :-61/2021 (2021/138)**

1. हनुमान सहाय पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी ग्राम बस्सी तहसील बस्स जिला जयपुर (दौराने दावा फौत)  
1/1 चन्द्रमोहन पुत्र स्व0 हनुमानसहाय  
1/2 प्रेमप्रकाश पुत्र स्व0 हनुमानसहाय  
1/3 चांद देवी पुत्री स्व0 हनुमानसहाय  
समस्त जाति माली निवासी ग्राम बस्सी-तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:वादीगण:—

1. कालूराम पुत्र नाथूलाल जाति माली
2. अशोक पुत्र लल्लूलाल
3. ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द
4. छुट्टन लाल पुत्र मूलचन्द
5. बरदी देवी पत्नी लल्लूलाल
6. बबूलाल पुत्र लल्लूलाल
7. लक्ष्मीनारायण नाबालिग पुत्र लल्लूलाल जरिये माता बरदी देवी
8. शंकरलाल पुत्र लल्लूलाल
9. सीता नाबालिग पुत्री लल्लूलाल जरिये संरक्षिका माता
10. रामजीलाल पुत्र मूलचन्द

समस्त जाति माली निवासीयान ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर

—:प्रतिवादीगण:—

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
14. उप पंजियक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:तरतीबी प्रतिवादीगण:—

**दावा अन्तर्गत धारा 53, 188**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :-श्री गिरिराज व सुधीर शर्मा, एड0 वादीगण।

श्री विनोद कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 2 ता 10।

**पर्चा डिक्री**

दिनांक 28/10/2024

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा आराजी खसरा संख्या 2033 रकबा

1.1100 हैक्टियर वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 12.10.2022 के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

**उपखण्ड अधिकारी**  
**बस्सी जिला-जयपुर**

क्र.स.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (हेक्टेयर)
1	कालूराम पुत्र नाथूलाल जाति माली सा.देह।	2033/1	0.2275 0.2775
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.2275 0.2775
2	हनुमान सहाय पुत्र नाथूलाल जाति माली सा.देह।	2033/2	0.2275 0.2775
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.2275 0.2775
3	रामजीलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/4, ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/4, कल्याणी पत्नी मूलचन्द हिस्सा 1/4, अशोक पुत्र लल्लूलाल हिस्सा 1/28, छुट्टन पुत्र लल्लूलाल हिस्सा 1/28, बरदी देवी पत्नी लल्लूलाल हिस्सा 1/28, बाबूलाल पुत्र लल्लूलाल हिस्सा 1/28, शंकरलाल पुत्र लल्लूलाल हिस्सा 1/28, नाबालिग गीता पुत्री लल्लूलाल हिस्सा 1/28, नाबालिग लक्ष्मीनाराण पुत्र लल्लूलाल हिस्सा 1/28 जातियान माली सा.देह	2033/3	0.6550 0.5550
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.6550 0.5550

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी के जरिये पत्रांक 2022/10068 दिनांक 12.10.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेशित किया जाता है कि वादी के दौरान दावा फौत होने एवं प्रवितादी संख्या 2 लगायत 10 की माता कल्याणी पत्नी मूलचन्द का दावा दायरी से पूर्व फौत हो जाने से इनके कानूनी वारिसान की जाँच कर नियमानुसार विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। वादी एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 07/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(ओम प्रकाश मीना आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर ग्रामीण